वर्तमान भारतीय समाज में विधवाओं की समस्याएँ
(एक समाजशास्त्रीय अवलोकन)

सुभाष कुमार*

सारांश :–

प्राचीन भारतीय समाज में महिला को सम्मान जनक स्थान प्राप्त था। जैसा प्राचीन धर्मग्रन्थ एवं महाकाव्य में गया, सामान्यतः कहा जाता है कि जिस घर में स्त्रियों का आदर होता था उस परिवार में सुख शान्ति होती थी और वह परिवार, समाज में प्रतिष्ठित होता हैं परन्तु मध्यकाल से उनमें विभिन्न प्रकार की पाबन्दी लगा दी गयी। जिसमें सामाजिक कुरीतियों में बाल विवाह, बेमेल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध की बेड़ियों ने उन्हें पशु–तुल्य बना दिया, और वे वहिष्करण का शिकार होने लगी। महिलाओं में भी विधवाओं की स्थिति कुछ ज्यादा खराब हो गयी और विधवाओं को अपवित्र माना जाने लगा। उनके अधिकार क्षेत्र से बहुत से कार्यों को बहिष्कृत कर दिया गया और उनके धार्मिक उत्सव पर जाने पर पाबन्दी लगा दिया गया। वे किसी भी मांगलिक कार्यों में भाग नहीं ले सकती थी, उन्हें कठोर ब्रह्मचर्य एवं साधना की कठोरता से पालन के लिए विवश कर दिया गया, जिससे वे सती–प्रथा का अनुसरण करती थी। सती–प्रथा को देखते हुए राजा राममोहन राय के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1818 ई0 में सती प्रथा के विरूद्ध आंदोलन प्रारम्भ किया गया। राय ने इस विषय पर कई लेख व पुस्तक लिखी। एक बड़े पैमाने पर जागरूकता के लिए इन्होंने कई भाषा का प्रयोग किया। इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने भी कानून बनाये तथा सती प्रथा के अन्त की घोषणा की, बर्बर प्रथा का अन्त हो गया। परन्तु यह कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। आज भी विधवाएँ अनेको जगहों पर बहीष्कृत जीवन व्यतीत करती हैं।

आज प्रत्येक विधवाओं की समस्या भिन्न–भिन्न हैं। कहीं धार्मिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक आधार पर बहिष्कृत किया जाता है, और विधवा को समाज में सामाजिक ताने–बाने का शिकार होना पड़ता है। विधवा से तात्पर्य जिस विवाहित महिला का पति मर गया हो। उसे समाज द्वारा विधवा की मान्यता प्रदान की जाती है। विधवा कोई भी उसे आज भी विभिन्न प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विधवाओं के प्रकार निम्न है।

1. युवा विधवा एक ऐसी विधवा होती है जिसके कोई बच्चा न हो और जो अपने विवाह के एक या दो वर्षों में ही विधवा हो गई हो।
2. वह महिला जो विवाह के पांच से 10 वर्ष के पश्चात् विधवा होती है और उसके एक या दो बच्चे पालने के लिए हो।
3. वह विधवा 50 वर्ष की आयु की अधिक हो।

यद्यपि इन तीनों श्रेणी के विधवाओं को सामाजिक आर्थिक और भावात्मक समंजस्य की समस्या का सामना करना पड़ता है। पहली और तीसरी श्रेणियों की विधवाओं की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं होती, जबकि दूसरी श्रेणी की विधवाओं को अपने बच्चों के लिए पिता की भूमिका भी अदा करनी पड़ती है। इन दोनों किस्मों की विधवाओं का अपने पति के परिवार में इतना आदर–सत्कार नहीं होता, जितना की तीसरी किस्म का। वास्तव में जहां एक ओर परिवार के सदस्य विधवाओं की पहली दो श्रेणियों से मुक्ति पाना चाहते है वही पर दूसरी श्रेणी या तीसरी श्रेणी की विधवाओं को अपने पुत्र एवं परिवार के दायित्वों का निर्वाहन करना पड़ता है।

एक विधवा की आर्थिक निर्भरता में कमी उसके स्वाभिमान और उसकी पहचान की भावना के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देती है परिवार की भूमिकाओं में उनके सास–ससुर और परिवार के अन्य सदस्य द्वारा निम्न दर्जा प्रदान किये जाने से उनका स्वाभिमान कम होता है। यदि आज हम सभी विधवाओं को देखें तो हम कह सकते हैं कि विधवाओं के विरूद्ध हिंसा, पीटना, भावनात्मक उपेक्षा, गाली गलौज करना, लैगिंक दुर्व्यवहार संपत्ति में वैध हिस्से से वंचन, और उनके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार

* शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सम्मिलित है। भारत में विशेष रूप से हिन्दुओं में विधवाओं की एक गम्भीर समस्याएँ है क्योंकि हिन्दुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है और जिसमें यह पति–पत्नी का जन्म जन्मान्तर का बन्धन माना गया है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है यही कारण है कि पति की मुत्यु के बाद से ही विधवा स्त्री के दुःख प्रारम्भ हो जाते है। यहीं से सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत समस्या पैदा होने लगती है। जिसमें उनके सिर को मुड़वाना, अच्छे वस्त्र नहीं पहनना, श्रृंगार नहीं करना, इत्र व तेल का प्रयोग न करना, सार्वजनिक उत्सवों एवं शुभ कार्यों में उसकी उपस्थिति को अपशकुन माना जाता हैं। सास–ससुर एवं पति के परिवार के लोग विधवाओं पर अत्याचार करते है उसे डायन की संज्ञा देते है जिसने अपने पति को खा लिया है और साथ ही व्यभिचार एवं लैंगिक दुर्व्यवहार का प्रयत्न किया जाता है, उन्हें पति की सम्पत्ति से वंचित किया जाता है। भारत में स्त्रियों में अशिक्षा की अधिकता के कारण उन्हें पति के व्यापार, सम्पत्ति बीमे की रकम और जमा पूंजी आदि की जानकारी नहीं होती है। इसका लाभ उठाकर उसके ससुराल वाले उससे कागजों पर अंगूठा लगवा कर उसकी वैधानिक सम्पत्ति को हड़पने का प्रयत्न करते है। यह समस्या नगरीय क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण एवं अशिक्षित वर्ग में ज्यादा विद्यमान है।

भारत में विधवाओं की स्थिति पर गौर किया जाए तो एक अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 7 प्रतिशत महिलाएँ विधवा है प्रत्येक चौथे परिवार में एक विधवा स्त्री वैधव्य का जीवन व्यतीत कर रही है। 28 प्रतिशत विधवाएँ ही ऐसी है जो पेंशन के योग्य मानी गयी है और उनमें से भी केवल 11 प्रतिशत को ही पेंशन प्राप्त होती है। लगभग 40 लाख विधवाओं को किसी भी प्रकार का पेंशन प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार विधवाओं की स्थिति आज भी सोचनीय है। आज भी वे भिन्न–भिन्न प्रकार की समस्या का सामना कर रही है। जो निम्न है।

1. सामाजिक समायोजन की समस्या :– विधवाओं की प्रमुख समस्या में सामाजिक समायोजन की समस्या आज भी विघमान है आज भी उनका जीवन पूर्ण रूप से सामाजिक बन्धनों में बधी हुई नजर आ रही है। वे आज भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक रीति–रिवाज के कार्य नहीं कर सकती है। वे अच्छा भोजन नहीं कर सकती, वे मांगलिक कार्यक्रमों पर नहीं जा सकती, और इत्र, तेल, फूल एवं चमकीले–भड़कीले वस्त्र नहीं पहन सकती हैं। आज आधुनिकता के समय में एक विधवा स्त्री अपने जीवन को अपने ढंग से संचालित नहीं कर सकती है आज भी विधवाओं की कार्यशैली कहीं न कहीं प्रभावित है। वे, विधवा–पुनर्निर्वाह एवं हिसां का शिकार है। कितनी ऐसी विधवा है जो विधवा आश्रमों में रहकर करके जीवन व्यतीत कर रही हैं। कितनी ऐसी विधवा है जो भिक्षावृत्ति का कार्य कर एवं फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने को बेवस है। जिनका जीवन ही अस्थायी है। विधवाओं का जीवन को कहीं न कहीं ज्यादार ग्रामीण क्षेत्रों में विधवाएँ सामाजिक समंजस्य का सामना कर रही है।

2. शक्ति, सम्पत्ति एवं स्वास्थ्य कमी :– विधवाओं की महत्त्वूपर्ण समस्या में शक्ति, सम्पत्ति का अधिकार में कमी एवं स्वास्थ्य है क्योंकि इन्हीं के आधार पर जीवन का रास्ता निर्धारित होता है। कि भविष्य कैसा होगा। विधवा को पति मृत्यु के पश्चात् विधवा शक्ति में कमी आती है और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगने लगता है जिससे उचित उनमें पोषण के कारण कभी के विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेती है जिससे वें तनाव ग्रस्त रहती है जिसका फायदा उठाकर परिवार के सदस्यों उनके निजी जीवन से जुड़े सम्पत्ति, बीमा, जमीन एवं विभिन्न वस्तुएँ को अपनाने में लगे रहते है। यह समस्या नगरीय क्षेत्रों की तुलना ग्रामीण इलाके में ज्यादा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, जागरूकता की कमी एवं गरीबी के कमी के कारण विधवा को प्रताड़ित होती रहती है वे यहाँ तक जीवन से त्रस्त्र आ करके विभिन्न असामाजिक कार्य करने लगती है।

3. आयु, कामवासना, शिक्षा एवं वर्ग सम्बन्धी समस्या :– विधवाओं की समस्या समयानुसार अलग–अलग है आयु के आधार पर युवा विधवाओं की तुलना में वृद्ध विधवा की समस्या से भिन्न है युवा विधवा को पारिवारिक दबाव, बच्चों की देख–रेख एवं व्यक्तिगत समस्या का सामना करती है वही पर वृद्ध विधवा को अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थ है वही पर युवा विधवा की आयु के अनुसार कामवासना की समस्या जीवन से जुड़ी होती है जो भटकाव पैदा करती है। साथ ही शिक्षा में कमी भी विधवाओं प्रताड़ना का प्रमुख कारण है। शिक्षा के अभाव से शिक्षा परिवार के जागरूक लोग अपना शिक्षा अधिपत्य दिखाने लगते है।

4. शिक्षित व उच्च वर्ग की तुलना में अशिक्षित व निम्न वर्ग की विधवा ज्यादा उत्पीड़ित :– विधवा में भी कई तरह के वर्ग है जिसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग एवं आश्रम में निवासित विधवाएँ है। जिसमें से निम्न वर्ग की विधवाएँ की स्थिति ज्यादा दयनीय है। वे पारिवारिक समस्या से तनाव ग्रस्त रहती है उन्हें समय–समय पर ताने दिया जाता है। उन्हें अशिक्षित होने के वजह से उन्हें विभिन्न लाभों से वंचित किया जाता है। वे तनाव ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है उन्हें मानसिक एवं स्वास्थ जैसी समस्या से जुझती है उन्हें कोई नई दिशा देना वाला नहीं होता है। उन्हें युवा एवं वृद्ध विधवा में वृद्ध विधवाओं की ओर वृद्ध की समस्या तो दूसरे तरफ विधवा होने की समस्या बनी रहती है। उनके साथ व्यभिचार एवं लैंगिक दुर्व्यवहार का प्रयत्न किया जाता है। भारत में अशिक्षा के कारण उनके पति के व्यापार, सम्पत्ति, बीमे की रकम और जमा पूंजी आदि का परिवार के अन्य सदस्य उपयोग करते हैं।

5. निष्क्रियता विधवाओं की उत्पीड़न प्रमुख कारण :– विधवाओं के उत्पीड़न में वे प्रमुख रूप सक्रिय न रहना भी एक कारण है विधवा होने के बाद उनके कार्य क्षेत्र में कार्य करने में गति धीमी हो जाती है, जिसका फायदा उठकर परिवार के लोग उनका मानसिक, शारीरिक एवं स्वास्थ्य का उत्पीड़न करते है। उनकी शारीरिक क्षति पहुचाते है। इससे त्रस्त आकर विधवा को विधवा आश्रम का सहारा लेना पड़ता है। जिससे वे विलासी जीवन व्यतीत करती है। जिनके जीवन में विभिन्न समस्या पैदा होती रहती है। वे तनाव में आकर परेशान रहती है। विधवाओं में युवा विधवा के साथ शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है। उनकी जीवन दुख से भरा रहता है। वे अपना जीवन तनाव ग्रस्त जीवन व्यतीत करने को विवश रहती है।

6. गाँवों में तीर्थस्थान एवं आश्रम में निवसित विधवा :– विधवाओं के प्रत्येक स्तर पर समस्या मे भिन्नता है चाहे वे गाँव में निवास करती है या फिर तीर्थस्थान या आश्रम में निवास करती है गाँव में निवासित विधवाओं में बढ़ती उम्र में पारिवारिक समायोजन की समस्या का सामना कर रही है और युवा पीढ़ी पर बोझ बन करके जीवन व्यतीत कर रही है साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी, चलने फिरने के समस्या के साथ कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। समाज के मान्यता के दायरे आज भी वे बंधी है उन्हें सार्वजनिक स्थान पर जाने एवं शुभ कार्य में सम्मिलित होने से आज भी मनाही है। वे इससे भी अपने को बहिष्कृत जीवन व्यतीत करती है जिससे अपने को असहाय निष्क्रिय समझती है यदि आय के स्रोत में कमी से जीवन की मूलभूत अवश्यकता की पूर्ति के अभाव से उनकी दैनिक जीवन प्रभावित होता है। गाँव हो अथवा शहर सभी जगह हिन्दू विधवाओं के नियम समान है परन्तु तीर्थस्थान स्थानों पर कुछ भिन्नता है तीर्थस्थान में विधवाओं के रहने का मुख्य उददेश्य है आध्यात्मिक जीवन–यापन करना। परन्तु गाँव एवं परिवार के साथ निवास करने पर उन्हें कई प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है जिसमें प्रथम यह है कि सामान्य लोगों द्वारा विधवाओं के अशुभ होने के मान्यता, साथ उनके वस्त्र एवं भोजन सामान्य लोगों से भिन्नता होती है ज्यादातर विधवाओं में वैराग्य की भावना उम्र के साथ प्रबल होती है। वे काशी एवं वृन्दावन स्थान पर जीवन बिताने की इच्छा रखती है। जिसमें बहुत सारी विधवाओं तीर्थवास का प्रबन्ध परिवार की सहायता से किया जाता है, और कुछ विधवा है जो सन्यासी की तरह से परिवार से अलग रह कर जीवन व्यतीत करती है तीर्थस्थान में रहने वाली विधवाओं की संख्या अत्यधिक है। और समान्यतः कुछ विधवा कुछ समय के लिऐ घर पर किसी पर्व–त्यौहार के अवसर पर तीर्थ यात्रा से आती है अपने जीवन को संचालित करती है और धार्मिक क्रिया में भाग लेती है। एक अध्ययन से पता चला कि अधिकांश विद्यवाओं ने यह स्वीकार किया है कि गांव की अपेक्षा काशी एवं वृन्दावन में उन्हें अधिक स्वतंत्रता है। इसलिए वे तीर्थस्थान में रहना पसन्द करती है जिसमें उनके कार्यो में जो स्वयं निवास करना, भोजन पकना, गंगा स्नान एवं नियमित रूप से विश्वनाथ जी एवं अन्य धार्मिक स्थान पर नियमित दर्शन करती है। यदि अगर उनकी समस्या को रेखांकित करें तो विधवा के समस्याओं में आश्रम में निवासित विधवा की समस्या ज्यादा गंभीर है आश्रम की विधवा कहीं न कहीं परिवारिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या के साथ विलासी जीवन व्यतीत है। उनके जीवन से जुड़ी गतिविधियों पर गैर सरकारी संगठन तो जरूर कार्य करते हैं परन्तु वे अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करती है और उचित स्वास्थ्य एवं उचित पोषण की कमी से उनकी जीवन अंधकारमय बना रहता है। इस प्रकार आश्रम में निवासित विधवाओं भी आज एक अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रही है।

7. भिक्षावृत्ति विधवा की सामाजिक समस्या :– भिक्षावृत्ति में संल्लिप्त विधवाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। क्योंकि इसमें ज्यादातर विधवा की आगे–पिछे कोई नहीं रहता है इनकी जीवन की कोई दिशा नहीं होती है वे अपना जीवन फुटपाथ पर व्यतीत करती है। जो शरीर से बिल्कुल अशक्त होती है जिनका कोई सहारा नहीं है उनका जीवन कष्ट से भरा रहता है उनके पास रहने, खाने, सोने, की समस्या विद्यमान रहती है, सर्दी के मौसम ने वृद्ध विधवा कपड़े के अभाव में बीमारी एवं ठंड के दायरे में आ जाती हैं। भिक्षावृत्ति से दिन भर एक से दूसरे स्थान तक भटकती रहती है, शारीरिक एवं मानसिक समस्या से ग्रस्त होती है। जिसमें शरीर रूप असहाय होती जाती है और दूसरी तरफ वृद्ध की समस्या, शारीरिक अपंगता एवं उसी के साथ उचित पोषण की कमी एवं संसाधन के अभाव के कारण उनका जीवन एक बोझ बन जाता है। विधवाओं की समरूपता पर दृष्टि डाले तो सामाजिक समायोजन के साथ सामाजिक, आर्थिक समस्या विद्यमान है। जिससे एक बड़ा समूह इससे प्रभावित है यदि इस समस्या के समाधान के लिऐ देश भर सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन ने कार्य कर रहे हैं सरकारी तौर पर विधवा पुर्नविवाह, विधवा पेंशन योजना के प्रयास जारी है साथ गैर सरकारी संगठन ने विभिन्न आश्रम के माध्यम से इनको विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान कर रहा है जो उनकी विभिन्न स्तरों पर सहायक हो रहा है। उदाहरण के तौर पर **बिन्देश्वरी पाठक** द्वारा **संचालित सुलभ इण्टरनेशनल संगठन** वृद्धावन एवं काशी की विधवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसमें भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक विभिन्न प्रकार सहायता प्रदान करता है जिनमें खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, एम्बुलेंस वाहन एवं आवासीय सुविधा प्रदान करता है जिससे उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है।

वैयक्तिक अध्ययन :–

1. रत्ना देवी सत्रह वर्ष के आयु में विधवा हो चुकी थी। इनके पिता काफी धनी थे। पचास बीघा खेती के काश्तकार थे। रत्ना देवी बड़ी स्वाभिमानी और तेजस्वी महिला है। देवर तथा लड़के के साथ अधिक दिनों तक नहीं निभा सकीं। अपने पिता के पास चली आई। परन्तु पिता के मुत्यु के उपरान्त इनकी बहन ने सम्पत्ति के लिए झगड़ा किया परिणामतः पिता की सारी सम्पत्ति बहन को उन्हें देकर अपने एक मात्र पुत्र के साथ काशी चली आई। यहाँ इन्हें महाराज विजयनगरम के महल में नौकरी मिल गई। ये महाराज तथा महारानी की अत्यन्त विश्वासपात्र, प्रिय सेविका रही। बीस वर्ष तक इन्होंने महाराज की सेवा की। इस बीच इनके पुत्र का राज घराने की एक लड़की के साथ अनुचित सम्बन्ध हो गया। लड़की कुछ गहने तथा सम्पत्ति लेकर लड़के के साथ बम्बई चली गयी। काफी समय दौड़–धूप तथा परेशानी के पश्चात उसे पुनः काशी ले आया गया। इस घटना से रत्ना देवी मर्माहम हो गई। इन्होंने महाराज की सेवा से अलग होने का निश्चय किया। विदाई के समय महाराज ने पचास हजार रूपये दिये। वह दिल्ली चली गई। वहाँ भी बीस वर्ष नौकरी करती रही। इस बीच इनके लड़के ने सारी सम्पत्ति शराब तथा अन्य नशों में बर्बाद कर दी। तब तक ये साठ वर्ष की हो चुकी थी। रत्ना देवी चार वर्ष तक हरिद्वार में रहीं। पिछले सात वर्ष से काशी में निवास कर रही है। आजकल इनका लड़का नौकरी कर रहा है। **(मौर्य जी की डायरी)**

2. पति होते तो प्रोफेसर होते आज– बनारस में ससुराल और मायके होने के बावजूद 37 वर्षीय अन्नपूर्णा श्रीमती रानी बिरला मारवाड़ी महिला निवास में रहती है। सुबह–शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती। 800 रू0 कमाती है और अपना भरण–पोषण करती है अन्नपूर्णा खुद को इतना व्यस्त रखना चाहती है, ताकि उन्हें बीतें दिनों की याद न आये। विधवा की समस्याग्रस्त जिन्दगी को जीना नहीं चाहती। कुछ करना चाहती है। स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, तभी पति का निधन हो गया। अन्नपूर्णा एम0ए0 करना चाहती थी। प्रोफेसर बनने की इच्छा थी, जो न पूरी हो सकी। काश : पति जिन्दा होते तो आज मैं प्रोफेसर होती।' जीवन में संघर्ष के दौर शुरू हो गया और अब तक जारी है। अधिक उम्र नहीं थी जब अन्नपूर्णा की शादी धमेन्द्र शर्मा से हुई। 19 साल की थी, तब वह इण्टर में पढ़ रही थी। उन्होंने बताया, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे। साड़ी की एक दुकान में काम करते थे। मैं पढ़ना चाहती थी और वे भी चाहते थे कि पढ़ लिखकर थी कोई नौकरी करूँ। जबकि मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि मैं पढ़–लिखकर नौकरी करूँ। ससुराल, देवर और ननद, सभी का काम करने के बाद कालेज जाती शाम को लौटकर रात का खाना बनाना, बर्तन धोना सब कुछ मुझे ही करना पड़ता। यह सब बोझ नहीं लगा

रहा था, क्योंकि पति का प्यार मिलता रहता था। उनकी सांत्वना मिलती और मन हल्का हो जाता। दिन ठीक–ठाक गुजर रहे थे। शादी के दो साल कैसे गुजर गये पता ही नहीं चला। इसी बीच एक दिन अचानक धर्मेन्द्र के सर में तेज दर्द हुआ और वे अनाप–शनाप बकने लगे। डाक्टर को दिखाया, पता चला दिमांग का बुखार है। बुखार तो इलाज से ठीक हो गया लेकिन धर्मेन्द्र की मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लोग उन्हें पागल कहने लगे। मुझे पूरा विश्वास था कि वे ठीक हो जायेंगें। वे जब दुकान पर काम करने नहीं जाते थे। मेरा भी कॉलेज जाना छूट गया। दिन भर उनकी सेवा और घर का काम करती। ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती थी कि वे जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन इधर–ननद ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि मेरे कारण ही धर्मेन्द्र की यह स्थिति हुई है। ससुर और देवर भी उसका साथ देने लगे और एक दिन मुझे घर से निकाल दिया। मानसिक स्थिति खराब होने के बावजूद धर्मेन्द्र मुझे रोकना चाहते थे। उनकी आँखों में आँसू थे। वहाँ से निकाले जाने के बाद मैं पिता के घर आ गई। एक साल के अन्दर ही माँ और पिता का निधन हो गया। हम किराये के मकान में रहते थे। मेरा एक बड़ा भाई भी है, जिसे पापा ने घर से निकाल दिया था। इधर धर्मेन्द्र की हालत लगातार बिगड़ती गई और एक दिन वे चल बसे। किराए के मकान में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। आय का कोई स्त्रोत नहीं था। आस–पड़ोस के लोग भी गलत नजरो से देखने लगे मेरी बेबशी का फायदा उठाते। बाद में सन् 2011 में मैं इस आश्रम में आकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। यहाँ रहने का एक मकसद यह भी था कि यहाँ खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। धमेन्द्र के साथ गुजारे दिन आज भी ताजे हैं, वह याद दुःख नहीं सहा जाता देती है। **(वाराणसी की विधवाएँ नवजीवन संकल्प) दृष्टि डॉ0 विन्देश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल शोटाल सर्विस ऑर्गनाइजेशन का प्रकाशन।**

विधवाओं के कल्याण में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन का योगदान :–

विधवा की समस्या इतनी बढ़ी की इनकी समाधान के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन को सामने आने पड़े साथ ही सरकारी प्रावधान के तहत राजा राम मोहन राय ने 1818 ई. सती प्रथा समाप्ति के लिऐ आन्दोलन प्रारम्भ किया। विधवाओं की पुनर्विवाह की छूट देने की दृष्टि से भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना।, परन्तु विधवा द्वारा पुनर्विवाह बहुत कम ही किये जाते है। इसके साथ ही हिन्दू विधवा वैधता अधिनियम 1949, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 समान वेतन अधिनियम, 1948 दहेज निरोधक अधिनियम 1961, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1976 में धरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 वृद्धा एवं विधवा पेंशन योजना के इत्यादि के माध्यम विधवाओं की मुख्य धारा में जोड़ने के लिऐ सरकार ने समय–समय पर कार्य कर रही है और जिससे इनकी स्थिति में बदलाव हो रहा है और पहले की अपेक्षा आज के समय में बहुत परिवर्तन हुआ है आज के समय में प्रत्येक विधवा महिला आत्म निर्भर बन रही है। जीवन यापन के लिऐ सरकारी योजना का भरपूर फायदा उठा रही है। विभिन्न योजना का लाभ पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही है, आज विभिन्न पदों पर आसीन हो रही है। पहले के तुलना आज आत्मनिर्भर बन कर अपना भविष्य तय कर रही है, सरकार द्वारा संचालित वृद्धा एवं विधवा पेंशन योजना का प्रभाव ज्यादा सकारात्मक रहा है। जो उनके जीवन के लिऐ उपयोगी हुआ है। सरकारी योजनाएँ के साथ ही साथ गैर सरकारी योजनाएँ एवं संगठनों ने इनके कल्याण के लिऐ कार्य कर रहे हैं। आज आश्रम एंव गैर सरकारी संगठन के माध्यम से आज उनकी स्थिति बदलती नजर आ रही है जिसका उदाहरण के तौर पर देखें तो वृन्दावन एवं वाराणसी की विधवाएँ आश्रमों में निवास कर रही है। जिनका देख–रेख गैर सरकारी संगठन कर रहा है। वे भी अपना जीवन सही ढंग से यापन कर रही है। अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर रहा है। प्राचीन समय में वैधव्य जहाँ अभिशाप था जिसको सामाजिक पहचान नहीं होती थी वहीं आज उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा–मान सम्मान, पेंशन तथा राशन कार्ड, आवास सरकार मुहैया करा रही है।

सितम्बर 2009 में गिरिजा व्यास अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन के समर्थक, गैर सरकारी संगठन के डॉ0 भगत अध्ययन करके रिर्पोट प्रस्तुत की। इसी क्रम में विन्देश्वरी पाठक द्वारा संचालित सुलभ इन्टरनेशनल संगठन ने वृन्दावन एवं वाराणसी की विधवाओं के लिऐ आवास, भोजन एवं दवा की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही इनके द्वारा विधवाओं के विशेष तौर पर एम्बुलेंस मुहैया कराया है। इसके साथ ही प्रो0 महादेव राव सिंवाकर के द्वारा लोक सभा में Walfare and

Maingtenance of Windows Bill 2012 नाम से पेश किया है जो संघ एवं राज्य के द्वारा 2000/– प्रतिमान सहायता, निःशुल्क आवासीय सुविधा, रोजगारपरक शिक्षा, रोजगार चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की माँग की गई है। **राष्ट्रीय विधवा कल्याणकारी बोर्ड ने** सांसदों एवं सामजिक कार्यकर्ता से विधवाओं के लिए कलयाणकारी योजनाओं और अनुदान एवं सुरक्षा प्रदान की मांग समय–समय पर करता है। गैर सरकारी संगठन ने उनके कल्याण हेतु कई योजनान्मुख तथा विकासपरक कार्यक्रम संचालित कर रहे। विधवा को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिऐ रोजगारपरक कौशल विकास तथा विभिन्न प्रकार कार्यमुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने स्वप्रेरित कर रहे है। विधवा की सामाजिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन में सकारात्मक योग दिया है। जिसके आधार पर प्राचीन एवं वर्तमान में अन्तर दिखायी पड़ रहा है।

निष्कर्ष :– समाज का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है जब महिला एवं पुरुष में समानता होगी और महिलाओं के प्रत्येक क्षेत्र में समान भागीदारी होगी। क्योंकि महिला ही परिवार की धरोहर होती है इसी पर परिवार निर्भर करता है। यदि महिलाओं की स्थिति में भी विधवा महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है। यदि विधवा की स्थिति देखें तो पहले की तुलना में बदलाव तो जरूर हुआ परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में आज विधवाऐं सामाजिक बहिष्करण का शिकार है आज भी उन्हें किसी उत्सव, एवं शुभ कार्यों में मनाही है। वही पति के मरणोपरान्त उन्हें अपने सम्पत्ति, बीमा के लिऐ लम्बी लड़ाई लड़ना पड़ता है। आज भी विधवा पूर्णरूप सुरक्षित नहीं है। कितनी विधवा आश्रम में रहकर जीवन को गुजर–बसर कर रही है। विधवाओं में भी युवा एवं वृद्ध विधवाओं की भिन्न–भिन्न समस्या विद्यमान है। जिसमें युवा विधवाओं के स्वयं के भरण पोषण के साथ बच्चे के भरण पोषण की समस्या विधमान है। वही वृद्ध विधवा का सामाजिक समायोजन की समस्या प्रमुख है। विधवाओं की समस्या पर नजर डाले तो शक्ति, सम्पत्ति एवं स्वास्थ्य के अभाव के कारण विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की पिछड़े इलाके की अशिक्षित, असहाय, निष्क्रिया, एवं निम्न वर्ग की विधवाऐं आज अधूरा जीवन व्यतीत कर रही है। विधवा में पहले से बदलाव तो जरूर हुआ लेकिन आज भी उनकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। उनकी स्थिति सुधारने के लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा गाँधी इत्यादि लोगों ने विभिन्न प्रकार के आन्दोलन के द्वारा विधवाओं की समस्या की समाधान के लिए संघर्ष किये। इसके साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने उनके कल्याण के लिऐ कार्य कर रही है। जिसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं गैर सरकारी संस्था के तौर पर देंखें तो विभिन्न आश्रम, गैर सरकारी संगठनों में जैसे बिन्देश्वरी पाठक द्वारा संचालित सुलभ इण्टरनेशनल संगठन वाराणसी एवं वृन्दावन में निवाश्रित विधवाओं के लिए कार्य कर रही है। यदि हम विधवा को स्थिति के निष्कर्ष पर पहुचते है कि उनकी स्थिति में बदलाव तो जरूर हुआ परन्तु आज स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। आज भी विधवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सब उनकी स्थिति में बदलाव हेतु युवा वर्ग को आगे आना होगा और कार्य योजना के साथ ही वैचारिकी बदलाव करना होगा। जिससे वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. मित्तल सत्यप्रकाश, मौर्य, रामलखन, 2005, ''काशी में मोक्षकामी प्रवासी विधवाएँ धार्मिक–सामाजिक जीवन'', विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
2. राम, आहूजा 2000, ''सामाजिक समस्याएँ, द्वितीय संस्करण'', रावत पब्लिकेशन्स जयपुर।
3. पाण्डेय गणेश, आरूणा 2009, ''सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण'' राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
4. सिंह मनोज कुमार, 2000, ''भारत में सामाजिक परिवर्तन'', आदित्य पब्लिशर्स, बीना, मध्य प्रदेश।
5. गुप्ता, एम0एल0, शर्मा डी0डी0, 2002, ''समाजशास्त्र'' साहित्य भवन, प्रकाशक आगरा।
6. पाठक विन्देश्वरी 2013, ''वाराणसी की विधवाऐं नवजीवन संकल्प''– सुलभ इंटर नेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन का प्रकाशन, नई दिल्ली।